RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452 Raaso
Refreed Journal

रासो

अन्तर्विषयी त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16, अंक-4, सितम्बर अक्टूबर नवम्बर 2023

RNI No. RAJHIN/2007/26996
ISSN 0976-7452Raaso
Refreed Journal

रासो

इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं दर्शन की त्रैमासिक शोध पत्रिका

वर्ष-16 अंक - 4 सितम्बर-अक्टूबर-नवम्बर-2023

सम्पादक
डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा

निदेशक
कॉम्पिटिशन प्लस संस्थान, ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स, अजमेर (राजस्थान)

संरक्षक

* **प्रो. जे. पी. शर्मा** - पूर्व कुलपति, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

सलाहकार मण्डल

* **प्रो. विभा उपाध्याय** - प्रोफेसर, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
* **नर्मदा प्रसाद उपाध्याय** - प्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृति चिंतक, इन्दौर (मध्य प्रदेश)
* **प्रो. टी.के. माथुर** - पूर्व अध्यक्ष, इतिहास विभाग महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.)
* **डॉ. रमेश अग्रवाल** - पूर्व स्थानीय सम्पादक, दैनिक भास्कर, अजमेर (राजस्थान)
* **डॉ. गौरव बिस्सा** - सहआचार्य, विभागाध्यक्ष, प्रबंध अध्ययन विभाग, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)
* **डॉ. बीना शर्मा** - पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
* **प्रो. शोभा आर. मिश्रा** - आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, माधव महाविद्यालय, उज्जैन
* **डॉ. वेद प्रकाश विद्यार्थी** - पूर्व सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।

☆ उप सम्पादक
डॉ. रीता पारीक
प्राचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ प्रबन्ध सम्पादक
डॉ. मृत्युंजय शर्मा
सह-आचार्य
हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

☆ सहायक सम्पादक
डॉ. निष्काम शर्मा

☆ शब्द संयोजन
मुकेश कुमार माहेश्वरी

☆ सम्पादकीय/सचिव
व्यवस्थापकीय कार्यालय
सृजन संस्थान,
आचमन, वेद विहार,
लोहाखान, अजमेर-06
दूरभाष : 0145-2426610
e-mail : rasoajmjournal@gmail.com

☆ प्रकाशक :
पुष्पा शर्मा
सृजन संस्थान,
द्वारा आचमन पब्लिकेशन्स,
अजमेर

☆ मुद्रक :
मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स,
केसरगंज, अजमेर

☆ कम्प्यूटराइज्ड सेटिंग :
श्रीनिवास प्रिन्टोग्राफिक्स
132, पंचवटी कॉलोनी,
अजमेर दूरभाष : 0145-2442701

सहयोग दर

* वार्षिक सदस्यता - 500 रु. (चार अंक) संस्थाओं हेतु - 600 रु. (चार अंक)
कृपया चैक/ड्राफ्ट/मनीऑर्डर श्रीमती पुष्पा शर्मा, प्रकाशक, आचमन पब्लिकेशन्स, अजमेर- 305006 के नाम भेजें।

प्रकाशक-श्रीमती पुष्पा शर्मा, 51/1509, वेद विहार, लोहाखान, अजमेर द्वारा मैसर्स सृजन संस्थान, अजमेर की ओर से प्रकाशित एवं मुद्रक-श्रीमती उषा गर्ग द्वारा मैसर्स आर्य प्रिन्टर्स, केसरगंज, अजमेर से मुद्रित।

भारतीय लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का विश्लेषण

पिंकी सांखला

सहायक आचार्य (शिक्षा विभाग)

हुकुमचन्द नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, अजमेर

भारतीय लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व अत्यंत व्यापक और गहन है। सत्यनिष्ठा केवल किसी अधिकारी का व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह लोक प्रशासन की नींव और उसकी नैतिक मजबूती का आधार है। अन्य सभी सामाजिक कार्यों की तरह, लोक प्रशासन के लिए भी यह आवश्यक है कि वह न्याय, समानता, निष्पक्षता और सार्वजनिक कल्याण जैसे प्रमुख नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो। यदि प्रशासन का उद्देश्य केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखना, कार्य-कुशलता दिखाना, अधिकाधिक उत्पादन करना, शक्ति का विस्तार करना या न्यूनतम व्यय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना तक ही सीमित रह जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की अपेक्षाकृत स्थायी और सुसंगत व्यवस्था का निर्माण असंभव हो जाएगा। ये औपचारिक उद्देश्य निस्संदेह आवश्यक हैं, किंतु इनके साथ अधिक तात्विक और नैतिक उद्देश्य भी जुड़ने चाहिए। इनमें सार्वजनिक कल्याण की प्राप्ति, सामाजिक सामंजस्य की स्थापना, नागरिकों के नैतिक और मानसिक विकास का समर्थन तथा समाज की सामान्य प्रगति और उन्नति शामिल है।

लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का अर्थ केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे संस्थागत रूप में भी समझना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी संस्थाओं और उनके कर्मचारियों के निर्णय और कार्यकुशलता केवल नियम और प्रक्रियाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें मानवीय मूल्यों, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। प्रशासनिक निर्णयों में सामाजिक कल्याण और मानवीय दृष्टिकोण की प्रधानता होनी चाहिए, ताकि राज्य की नीतियाँ और कार्यक्रम केवल औपचारिक लक्ष्यों तक सीमित न रह जाएँ, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी और सकारात्मक हो।

लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही रूप में व्यापक है। इसलिए किसी भी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि 'राज्य की आवश्यकता' के नाम पर कोई ऐसा निर्णय या कार्य स्वीकार्य है जो मानवता के नैतिक आधारों के विरुद्ध हो। अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में, जैसे कि राज्य के अस्तित्व को वास्तविक खतरा हो, केवल उसी स्थिति में ऐसे असामान्य निर्णय को समझा और स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में प्रशासन को नैतिक और मानवीय सिद्धांतों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी वे नैतिक गुण आवश्यक हैं जो पूर्णता और मानव कल्याण के लिए अपरिहार्य हैं। इस प्रकार, सत्यनिष्ठा लोक प्रशासन का मूलभूत मूल्य है, जो केवल कार्यकुशलता और उत्पादन तक सीमित न रहकर न्याय, निष्पक्षता, समानता, सामाजिक कल्याण और नागरिकों के नैतिक विकास को साक्षात्कृत करती है।

शोध-पत्र में उल्लिखित सन्दर्भ एवं विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है, सम्पादक नहीं।

भारत लगभग एक हजार वर्षों तक विभिन्न प्रकार की पराधीनता और निराशाओं का सामना करता रहा, और इन संघर्षों के बाद ही स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतंत्र और समाजवाद के आदर्शों का वास्तविक अर्थ तभी जनता के लिए समझ में आ सकता है जब देश के सामाजिक और राजनीतिक नेता जनता की अधिकतम क्षमता के अनुसार सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। इस संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की लोक प्रशासन व्यवस्था देश की नैतिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित हो। नैतिक गुणों और मूल्यों का पुनरुत्थान अपरिहार्य है। प्रत्येक लोक-सेवक को नैतिक मूल्यों के महत्व को अपने हृदय में ग्रहण करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उनके प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखनी चाहिए।

लोक प्रशासन में नैतिक आधार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत ईमानदारी, निष्पक्षता, परिस्थितियों को निर्लिप्त भाव से आंकने की क्षमता, प्रभावकारी निर्णय लेने की योग्यता और न्याय की भावना जैसी गुणात्मक आवश्यकताएँ आती हैं। बिटेन के अनुसार लोक प्रशासन का तात्त्विक सिद्धांत यही है कि अधिकारियों को केवल ईमानदार होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे आचरण का पालन करना चाहिए जो बेईमानी के संदेह से भी परे हो। दूसरे शब्दों में, बाह्य आचरण ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी और सदाचार के नियमों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करे।

आज प्रशासनिक क्षेत्र में यह विचित्र स्थिति देखने को मिलती है कि प्रशासकीय अधिकारियों और लोक-सेवकों का आचरण उस नैतिक स्तर का नहीं होता जैसा कि उन्हें नैतिक नागरिक के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार का दुहरा मापदंड समाप्त होना आवश्यक है। लोक प्रशासन का आधारभूत उद्देश्य सजीवन और समाज की बुद्धिसंगतता को सुनिश्चित करना होना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने वाले आदर्शों के निकट प्रशासनिक आचरण होना ही एक सजीव और प्रभावकारी लोक प्रशासन की पहचान है। यदि नैतिकता के दुहरे मापदंड को स्वीकार किया गया, तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पतन अवश्य होगा।

सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी हमें वही गुण अपनाने होंगे जिन्हें हम पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत स्तर पर साक्षात्कृत करना चाहते हैं। यदि हम परिवार में सभ्यकता, शिष्टता और ईमानदारी चाहते हैं, तो समाज में भी इन्हीं गुणों का व्यावहारिक रूप से पालन करना आवश्यक है। जो गुण हम एक सत्पुरुष से अपेक्षित करते हैं, उन्हें हमें सार्वभौम और सर्वव्यापी बनाना होगा, ताकि ये गुण कल्याणकारी लोक प्रशासन का स्थायी आधार बन सकें। इस प्रकार, नैतिकता, ईमानदारी, न्याय और सभ्यकता लोक प्रशासन का वह नैतिक ढांचा हैं जो समाज के स्थायित्व, प्रगति और कल्याण को सुनिश्चित करता है।

कौटिल्य भारतीय राजनीति और प्रशासन के प्राचीनतम वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने लोक प्रशासन में नैतिकता और आचारनीति के आदर्श को विशेष महत्व दिया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से इस बात पर आधारित था कि एक लोक सेवक का जीवन शौचयुक्त होना चाहिए और उसे उन सभी प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए जो अशौच और अनैतिक प्रवृत्तियों की ओर ले जाते हों। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल योग्यता और दक्षता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि नैतिक चरित्र और व्यक्तिगत शुद्धता को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विभिन्न सेवाओं के लिए नियुक्तियों में प्रत्याशियों के नैतिक गुणों की जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। न्यायिक पदों पर केवल ऐसे लोग नियुक्त किए जाने चाहिए जो धार्मिक पक्षपात

से मुक्त हों (धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टक-शोधनेषु स्थापयेत), क्योंकि न्यायिक कार्यों में निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। प्रशासकीय और राजस्व संबंधी पदों पर उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो आर्थिक प्रलोभनों से परे हों (अर्थोपधाशुद्धान् सामाहर्तृ संनिधानृन्निचयकर्मसु), ताकि प्रशासनिक निर्णयों में कोई भ्रष्टाचार या स्वार्थ की संभावना न रहे। मंत्रिपद जैसी उच्च जिम्मेदारियों के लिए उन व्यक्तियों को चुना जाना चाहिए जो सभी प्रकार के प्रलोभनों—धार्मिक, आर्थिक और ऐन्द्रिक—से परे हों तथा निर्भीक और निडर हों (सुत्रोंपशुद्धान्मन्त्रिण: कुर्यात), ताकि राज्य का संचालन पूर्ण निष्ठा और विवेक के साथ हो सके।

सत्यनिष्ठा के संवर्धन के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि प्रशासन को मानववाद और नैतिकता के आदर्शों पर आधारित बनाने में परिवार और सामाजिक वातावरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आशा निराधार होगी कि समाज के विभिन्न अंग—जैसे परिवार, प्राथमिक समूह, सामाजिक संघ, पाठशालाएँ, धर्मसंघ—अपना नीरस और उदासीन जीवन यापन करते रहें, और उसी समय लोक प्रशासक चारित्रिक पूर्णता के आदर्श बनकर कार्य करें। समस्या का समाधान समय के अनुसार, धीरे-धीरे किया जा सकता है।

मनुष्य पर उसका वातावरण गहरा और बाध्यकारी प्रभाव डालता है। उसका व्यक्तित्व, उसके निर्णय, उसकी सोच और आचरण इस बात से प्रभावित होते हैं कि वह किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के बीच जीवन व्यतीत करता है। यह प्रभाव चेतन और अचेतन दोनों रूपों में प्रकट होता है। इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग मानकर समस्या को समझने का प्रयास करना पर्याप्त नहीं है। प्रशासकों का प्रशिक्षण और उन्हें नैतिक और चारित्रिक गुणों से युक्त बनाना प्रारंभिक जीवन से ही आवश्यक है। फ्रायडवादियों ने भी इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि मनुष्य के प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ और भावनात्मक अनुभव उसके व्यक्तित्व और निर्णयों पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालते हैं। इसी दृष्टिकोण से लोक प्रशासन की समस्याओं को मानव के सामाजिक और मानसिक पुनर्निर्माण की व्यापक समस्या के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।

लोक प्रशासन की सफलता के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाना आवश्यक है जिनमें भ्रष्टाचार के प्रलोभन उत्पन्न ही न हों। इसके लिए लोक सेवाओं को समाज में सम्मानजनक और प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करना होगा। भारत में लोक सेवाओं का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ लंबे समय तक संबंध रहा है। इसके कारण लोक मानस में कुछ हद तक लोक सेवकों के प्रति घृणा और संदेह का भाव विकसित हुआ। पुलिस और अन्य प्रशासनिक संस्थाओं के प्रति लोगों की सामान्य नकारात्मक भावना इसका उदाहरण है। उच्च असैनिक सेवाओं ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ अपने संलग्न होने के कारण कई अवांछनीय कुकृत्य किए, और जनता की इस दृष्टि और अपनी स्थिति की सुरक्षा के उद्देश्य से लोक-सेवकों ने मिथ्या ठाटबाट, झूठी शान और अकड़ का जीवन अपनाया। इस संदर्भ में यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन की नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए केवल प्रशासनिक नियम पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज और परिवार की भूमिका, प्रारंभिक प्रशिक्षण और मानसिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन भी अत्यंत आवश्यक है।

लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा की स्थापना के लिए व्यावसायिक आधारनीति का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल प्रशासनिक प्रणाली के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक लोक

सेवक के नैतिक और व्यावहारिक चरित्र को भी दिशा देती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मामूली लोकनिंदा भी कटु भर्त्सना के रूप में अनुभव की जानी चाहिए, ताकि उसे अपने आचरण और कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा मिल सके। सेवाओं की आंतरिक स्थिति में सुधार से ही व्यावसायिक आचारनीति का विकास संभव है। व्यावसायिक आचारनीति प्रशासनिक जीवन में एक महान् नियंत्रण का कार्य करती है और संवेदनशील नागरिक के चरित्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सेवाओं में वास्तविक व्यावसायिक आचारनीति विकसित होती है, तो इससे जुड़े सभी व्यक्तियों में प्रशासकीय व्यवस्था के प्रमुख मान्यताओं और मूल्यों के प्रति वैयक्तिक भक्ति की भावना स्वत: उत्पन्न होती है।

सेवाओं में व्यापक अर्थ में सत्यनिष्ठा पाई जाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी सम्पूर्ण व्यवस्था वस्तुगतता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता और न्याय की भावना से ओतप्रोत हो। वर्तमान में प्रान्तीयता, जातिवाद और पक्षपात जैसी विनाशकारी प्रवृत्तियाँ प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। ये तत्व सेवाओं की तटस्थता, सार्वजनिक भावना और समानता के आदर्शों को नष्ट कर रहे हैं। इससे जिम्मेदारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावकारी पालन करने में बाधा आती है। प्रान्तीयता और जाति के आधार पर अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त रखना और उनकी पदवृद्धि करना प्रशासनिक व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है। इससे अधिकारियों का मनोबल कमजोर होता है, सत्य और न्याय के प्रति उनकी आस्था क्षीण होती है और वे निराशा के शिकार बन जाते हैं।

इसलिए भर्ती, प्रशिक्षण और पदवृद्धि के नियमों को न्याय, निष्पक्षता और साम्य के उच्चतम आदर्शों पर आधारित होना चाहिए। यदि कभी सत्यनिष्ठा के सिद्धांत का उल्लंघन घूस, भ्रष्टाचार या अन्य अनैतिक लाभ के कारण होता है, तो वह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं रहती, बल्कि इसका व्यापक दुष्प्रभाव पूरे प्रशासनिक तंत्र पर पड़ता है और भ्रष्टाचार रूपी पिशाच हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। उत्तरदायी शासन में सेवाएँ लोकतंत्र का मुख्य आधार स्तम्भ होती हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का भाग्य लोकमत के अनुसार समय-समय पर बदलता रहता है, जबकि सेवाएँ स्थायी होती हैं। इसलिए सार्वजनिक कर्तव्य के प्रति सेवाओं की भक्ति को कम करने का प्रयास करना राष्ट्र और समाज के लिए गंभीर नुकसान है।

भारतीय समाज बहुसमुदायी और बहुस्तरीय है। भारतीय राज्य ने कल्याण को साक्षात्कृत करने का आदर्श अपनाया है और समाजवादी दृष्टिकोण से लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना चाहा है। किन्तु राज्य के कार्यों में वृद्धि, यान्त्रिकता और औपचारिकता की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव करती है। इससे संस्थाओं का महत्व बढ़ता है और वैयक्तिकता का ह्रास होता है। इन नकारात्मक प्रभावों को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि ऐच्छिक समुदाय समाज में सक्रिय और सृजनात्मक कार्य करने का प्रयत्न करे। सृजनात्मक नागरिकता की भावना का विकास और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा का संवर्द्धन करने में ऐच्छिक समुदाय महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा की वृद्धि के लिए पाँच प्रमुख सूत्रों पर आधारित कार्यक्रम आवश्यक हैं। पहला, परिवार, प्राथमिक समूहों और शिक्षा संस्थाओं का नैतिकीकरण, जिससे प्रारंभिक जीवन से ही व्यक्ति में नैतिक चेतना और जिम्मेदारी का विकास हो। दूसरा, सेवाओं के आर्थिक ढाँचे में सुधार, विशेषकर प्रशासनिक पदों के निम्न स्तर—जैसे तकनीकी, कार्यकारी और लिपिक वर्ग—में, ताकि आर्थिक प्रलोभनों के कारण भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो। तीसरा, सेवाओं में व्यावसायिक आचारनीति का विकास, जिससे

प्रशासनिक निर्णयों और कार्यों में ईमानदारी, निष्पक्षता और न्याय की भावना प्रबल हो। चौथा, ऐच्छिक समुदाय का योगदान, जो नागरिकों और अधिकारियों में नैतिक व्यक्तित्व के विकास को प्रोत्साहित करे और सामाजिक क्षेत्र में सृजनात्मक कार्यों का समर्थन प्रदान करे। और पाँचवाँ, राज्य की कानूनी तथा दण्डात्मक व्यवस्था का सक्रिय रहना, ताकि अच्छे जीवन की परिस्थितियों की रक्षा हो और भ्रष्टाचार या अनैतिक कृत्यों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा सकें।

इन उपायों का मूल उद्देश्य केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि लोक सेवकों के चरित्र और मानसिकता में गहरा और स्थायी परिवर्तन करना है। लोक सेवा जीवन भर का कार्य है, और सामान्यत: लोग इसमें अपने जीवन के तीसरे दशक के आरंभ में प्रवेश करते हैं तथा लगभग तीस वर्ष तक इसमें संलग्न रहते हैं। यह अवधि मानव जीवन का महत्वपूर्ण समय है, और इसे श्रद्धा और भक्ति की भावना के साथ प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। लोक सेवा अस्थायी आत्मतुष्टि का साधन नहीं, बल्कि आत्मविकास और व्यक्तित्व निर्माण का सुन्दर अवसर है।

सेवा का वास्तविक अर्थ केवल पद और प्रतिष्ठा में नहीं है। असैनिक सेवाओं में राजनीतिक जीवन की चमकदमक नहीं होती, लेकिन राष्ट्र की सेवा और सामाजिक कल्याण में योगदान देने से व्यक्तित्व का गहन और रचनात्मक विकास संभव है। मूल त्याग, निष्ठा और सेवा की भावना व्यक्तित्व के स्थायी निर्माण का मार्ग है। जब लोक सेवक सेवा को सामुदायिक कल्याण का माध्यम मानकर कार्य करते हैं, तो तुच्छ और अनावश्यक कार्यों की प्रवृत्ति स्वत: कम हो जाती है।

प्रशासन में मानवीय गुणों के विकास का अर्थ यह है कि सेवा के प्रति दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। इसे वैयक्तिक तुष्टि का साधन नहीं, बल्कि समाज और समुदाय के कल्याण का माध्यम मानना चाहिए। सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण केवल नियमों और दण्ड प्रणाली पर आधारित नहीं रह सकते, बल्कि यह जीवन के प्रति समर्पण, नैतिकता और मानव कल्याण की भावना से भी जुड़ा होना चाहिए। भ्रष्टाचार न केवल व्यक्तिगत नुकसान बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था के पतन का कारण बनता है। अत: सत्यनिष्ठा की समस्या जीवन के प्रति समर्पण की भावना से गहराई से जुड़ी हुई है।

निष्कर्षत: भारतीय लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का उद्देश्य केवल प्रशासनिक दक्षता नहीं, बल्कि न्याय, निष्पक्षता और समाज के कल्याण को सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक अधिकारियों का आचरण ईमानदारी, निर्भीकता और नैतिक शुद्धता पर आधारित होना चाहिए। कौटिल्य से लेकर आधुनिक दृष्टिकोण तक, नैतिक चरित्र और व्यावसायिक आचारनीति का विकास महत्वपूर्ण माना गया है।

सत्यनिष्ठा के संवर्धन के लिए परिवार, शिक्षा, सामाजिक वातावरण और ऐच्छिक समुदाय का प्रभाव अनिवार्य है। भ्रष्टाचार, पक्षपात और प्रान्तीयता प्रशासनिक तंत्र और समाज की नैतिकता को कमजोर करते हैं। लोक सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि जीवन का पवित्र अवसर है, जिसमें समाज और राष्ट्र के कल्याण में योगदान करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संक्षेप में, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा जीवन के नैतिक, सामाजिक और व्यावसायिक पहलुओं के समन्वय से ही संभव है और यही प्रशासन और समाज की स्थायित्व और प्रगति का आधार है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, रामकृष्ण, भारतीय लोक प्रशासन और नैतिकता, जयपुर: राजस्थान पब्लिकेशन, 2015
2. पटेल, रामदास, लोक प्रशासन के दर्शन और उद्देश्य, अजमेर: मानविकी प्रकाशन, 2018
3. त्रिपाठी, सुमित्रा, सत्यनिष्ठा और लोक प्रशासन, दिल्ली: भारतीय प्रशासनिक अध्ययन, 2012
4. गोयल, रामगोपाल, भारतीय प्रशासन में नैतिकता, अजमेर: नवोन्वेषी प्रकाशन, 1986
5. कौटिल्य, अर्थशास्त्र, संस्कृत संस्करण, संपादक: श्यामसुन्दर शास्त्री, वाराणसी: चतुर्वेदी ग्रन्थमाला, 2005
6. शर्मा, प्रवीण, लोक प्रशासन और नैतिक पुनर्निर्माण, दिल्ली: केंद्रीय अध्ययन संस्थान, 2010
7. Freud, Sigmund, The Interpretation of Dreams, New York : Basic Books, 2010
8. गुप्ता, देवेंद्र कुमार, प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था, दिल्ली: प्रकाशन वर्ष 2004
9. Redkrisnan S., Indian Philosophy, Vol.2, Oxford University Press, 1927
10. शर्मा, रामकुमार, लोक सेवा और नैतिक प्रशासन, जयपुर: राजस्थान पब्लिकेशन, 2015
11. त्रिपाठी, सुमित्रा, सत्यनिष्ठा और लोक प्रशासन, दिल्ली: भारतीय प्रशासनिक अध्ययन, 2012
12. अशोका, संतोष एवं रेड्डी, नंद किशोर, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, टाटा मैकग्रा हिल, 2022
13. एमएलएसयू प्रकाशन, प्रशासन में प्रशासन, मूल्य तथा उत्तरदायित्व, एमएलएसयू प्रकाशन, 2020
14. प्रसाद, शंकर मणि, कौटिल्य के राजनीतिक एवं सामाजिक विचार, 2018
15. द्वितीय सुधार आयोग, शासन में प्रशासन, हिंदी अनुवाद, 2020 (मूल अंग्रेज़ी संस्करण: 2012)
16. शर्मा, पी.डी., नैतिकता, अखंडता और योग्यता (हिंदी), दूसरा संस्करण, 2022
17. अजमेरा, संतोष, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, टाटा मैकग्रा हिल, 2022